न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 46/2021 बउनवानी कुलदीप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार
पुत्र श्री गोपीचन्द बैरवा निवासी ब्रहम्पुरी मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/87 **On line Appeal No- 321586118330659**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 4.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील खण्डार मे पिछले 20 वर्षो मे बीपीएल/एसएसी के निर्धन परिवारों को आवंटित 5 बीघा कृषि उपयोग हेतु भूमि आवंटियों की सूची।
2. श्री राधेश्याम पुत्र श्री देवीलाल कोली को आवंटित भूमि के दस्तावेज उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/एल.आर/2021/523 दिनांक 7.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 4.3.2021 मे चाही गयी सूचना (दिनांक 22.6.2002 को ग्राम खण्डेवला में की गयी भूमि आवंटन के आवंटियों की सूची जिसमे राधेश्याम कोली का नाम अंकित है) कुल 2 पृष्ठों की तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 312 दिनांक 5.4.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 312 दिनांक 5.4.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु बिन्दु संख्या 2 पर चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत नही करवाया है। अतः तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि राधेश्याम कोली को आवंटित भूमि की मिसल यदि आपके कार्यालय मे उपलब्ध हो तो उसकी [illegible] अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। यदि उक्त रिकार्ड जिला अभिलेखागार में जमा हो चुका है तो रिकार्ड नम्बर एवं जमा दिनांक से अपीलान्ट को [illegible] को भी निर्देशित किया जाता है आपको उपलब्ध करवायी सूची के अनुसार आवंटन मिसल की नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर सकते है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:38:54 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर